न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 33/2020

शरीफ पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. छोटू पुत्र बुद्धा जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थी

दिनांक :-11/02/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 172 हाल खसरा नम्बर 244, 243, 237 बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 172 के नये खसरा नम्बर 244, 243, 237, बनाये गये है। प्रार्थी का नया खसरा नम्बर 244 है एवं अप्रार्थी का नया नम्बर 237 बनाया गया है पूर्व के नक्शे मं प्रार्थी का कब्जा काश्त वतरफ उत्तर दिशा में है जबकि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर वतरफ दक्षिण दिशा में दर्शित किया गया है जो खिलाफ कानून व मौका है वतरफ दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा काश्त है। जो रास्ते के सहारे स्थित है। अप्रार्थी ने मौके पर अपने हिस्से में मकानात तरमीम कर रखे है। प्रार्थी का वतरफ दक्षिण में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न तो आज है और ना ही कभी रहा है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खसरा नम्बर को राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जिसे हाल के नक्शे में तरफ दक्षिण दिशा में दर्ज किया गया है उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बन्दोबस्त करते समय मौके की सही तरीके से निरीक्षण ना करते हुये प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 244 को नक्शे में खिलाफ मौका व कब्जा खिलाफ कानून है तथा गलत दिशा में दर्ज कर दिया गया है जिसे कायम रहने से प्रार्थी को बडी परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी बन्दोबस्त नक्शे में दर्ज किये गये खसरा नम्बर 244 को मुताबिक कब्जा दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी को गत नक्शे के बारे में जानकारी दिनांक 26/08/2020 को नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस लेने पर हुई। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा तैयार किये गये नक्शे में पूर्व मौके व कब्जे के अनुसार संशोधित किया जावें कि प्रार्थी का नया खसरा नम्बर 244 को दक्षिण से उत्तर दिशा में कायम किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 237 को उत्तर से दक्षिण दिशा में कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। उसके विरूद्ध दिनांक 07/09/2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम चिनावडा के आराजी खसरा नम्बर 244/0.81, 237/0.65 के मौके पर पहुँचा । श्रीमान्‌जी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड (मिशल बन्दोबस्त) के आराजी खसरा नम्बर 244 व 237 साविक खसरा नम्बर 172 मिन के ही हिस्से है। हाल खसरा नम्बर 244/0.81 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड शरीफ पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी चिनावडा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो कटी–घाटी से ग्राम चिनावडा जाने वाले रास्ते से लगा हुआ है। जिस पर वर्तमान में छोटू पुत्र बुद्धा जाति मेव निवासी चिनावडा द्वारा पक्का मकान बना रखा है। जो 0.65 पर बना हुआ है एवं मौके पर खसरा नम्बर 244 का रकबा 0.65 हैक्टर है एवं छोटू पुत्र बुद्धा जाति मेव निवासी चिनावडा के कब्जे में है। हाल खसरा नम्बर 237/0.65 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड छोटू पुत्र बुद्धा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड जो रास्ते से दो खसरा नम्बर छोडकर दूर है जिस पर वर्तमान में शरीफ पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी चिनावडा खातेदार का कब्जा व काश्त है। जो 0.81 हैक्टर पर कब्जा काश्त है एवं मौके पर खसरा नम्बर 237 का रकबा 0.81 हैक्टर है एवं शरीफ पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी चिनावडा के कब्जे में है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया ।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 244/0.81 प्रार्थी एवं खसरा नम्बर 237/0.65 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड (मिशल बन्दोबस्त) के आराजी खसरा नम्बर 244 व 237 साविक खसरा नम्बर 172 मिन के ही हिस्से है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट हाल खसरा नम्बर 244/0.81 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड शरीफ पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी चिनावडा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो कटी–घाटी से ग्राम चिनावडा जाने वाले रास्ते से लगा हुआ है। जिस पर वर्तमान में छोटू पुत्र बुद्धा जाति मेव निवासी चिनावडा द्वारा पक्का मकान बना रखा है। जो 0.65 पर बना हुआ है एवं मौके पर खसरा नम्बर 244 का रकबा 0.65 हैक्टर है एवं छोटू पुत्र बुद्धा जाति मेव निवासी चिनावडा के कब्जे में है। हाल खसरा नम्बर 237/0.65 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड छोटू पुत्र बुद्धा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड जो रास्ते से

दो खसरा नम्बर छोडकर दूर है जिस पर वर्तमान में शरीफ पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी चिनावडा खातेदार का कब्जा व काश्त है। जो 0.81 हैक्टर पर कब्जा काश्त है एवं मौके पर खसरा नम्बर 237 का रकबा 0.81 हैक्टर है एवं शरीफ पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी चिनावडा के कब्जे में है। परन्तु नक्शे की स्थिति विपरीत है। आराजी खसरा नम्बर 237 मौके अनुसार 0.81 है0 का है और प्रार्थी के कब्जे में है। आराजी खसरा नम्बर 244 मौके अनुसार 0.65 है0 का है और अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे में है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 237 का रकबा 0.65 है0 के स्थान पर 0.81 है0 एवं आराजी खसरा सं0 244 का रकबा 0.81 है0 के स्थान पर 0.65 है0 शुद्ध किया जाता है। आराजी खसरा सं0 237 पर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम कलमजन कर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाता है। एवं आराजी खसरा सं0 244 पर प्रार्थी का नाम कलमजन कर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 07.02.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner